

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) सिरौही राजस्थान

15

संख्यांक : 174

दिनांक : 10.01.2012

संबन्धक,

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक \_\_\_\_\_ के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं इममनुएल मिशन सिरौही (उ.रा.) को सत्र 2012-13 के लिए कक्षा एक से कक्षा आठ (अन्तिम/माध्यम) तक 31 मार्च, 2013 तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की सरसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन है।

1. मान्यता की गंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलग-अलग समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सौसायटी/विद्यालय किसी कैंपेडेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या सहायक को किसी स्कीमिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने पर प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, वर्ग, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती बाधा भया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि

1. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी बालक को शारीरिक दख या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बौद्धिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
5. अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निराकता तरतु, निरक्षर आदर्शकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जायेगा।

Principal

EMMANUEL MISSION SR. SEC. SCHOOL  
Golly Road, Sirohi-307001 (Raj.)  
C.B.S.E. Affiliation No. - 1730811  
C.B.S.E. School Code - 11157

Manager

Emmanuel Mission Sr. Sec. School,  
Golly Road, SIROHI - 307001 (Raj.)  
C.B.S.E. Affiliation No. 1730811

6. अध्यापकों की गती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा तथा वर्तमान में आपके विद्यालय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन आपके द्वारा प्रस्तुत स्वधोषणा पत्र 1 में लिखे गए दिखाए गए हैं।
11. विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
12. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यष्टियों के समूह या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओं की बार्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), सिरोंही को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक <sup>1074</sup> है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), सिरोंही द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
19. संलग्न उपाबंध-III के अनुसार अन्य कोई शर्त।.....विद्यालय द्वारा आरटीई की धारा 19 व 25 में वर्णित मानदण्डों (विद्यालय के लिए मान और मानक दस्तावेज़ों) को दिनांक 31 मार्च 2013 तक पूर्ण करने की शर्त के अधीन अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

*Signature*

*Signature*  
Principal

EMMANUEL MISSION SR. SEC. SCHOOL  
Golly Road, Sirohi-307001 (Raj.)  
C.B.S.E. Affiliation No. - 1730811  
C.B.S.E. School Code - 11157

*Signature*  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)  
सिरोंही

*Signature*  
Manager

Emmanuel Mission Sr. Sec. School,  
Golly Road, SIROHI - 307001 (Raj.)  
C.B.S.E. Affiliation No. 1730811

कार्यालय शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, तिरौड़ी (राज.)


- :: कार्यालय आदेश :: -

इस कार्यालय द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 25.08.2017.11.97

.....को. इमानुएल मिरान स्कूल, तिरौड़ी ...का निरीक्षण किया गया। इसी निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार पूर्व में जारी अध्यापक मान्यता स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में इस विधायक को ~~कार्य के निम्ने प्रथम/अथवा स्तर की हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण करने की स्तर द्वारा पूर्णता अध्यापक/अध्यापिका मान्यता प्रदान की जाती है। अध्यापक मान्यता निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शायी गई कठिनाई एवं रायस्थान गैर सरकारी निजी शिक्षण संस्था मान्यता नियम 1993 में दर्शायी गई शर्तों की पूर्ति तीन माह में करने की शर्त पर प्रदान की जाती है। निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्न कठिनाई दर्शाई गई हैं।~~

- 1. शीघ्र 100% एटाफ ट्रेन्ड किया जावे।
- 2. अविलम्ब में कर्मचारियों अथवा शिक्षकों की नियुक्ति के समय ~~अविलम्ब~~ प्रतिक्रिया को ~~अविलम्ब~~ आवेकित किया जावे।
- 3.
- 4.


अतः उक्त कठिनाईयों की पूर्ति ~~अविलम्ब~~ तीन माह में कर संस्था प्रधीन एवं व्यवस्थापक अनुपाचना प्रतिवेदन निम्नस्तुताधरकर्ता को प्रस्तुत करें।

  
शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, तिरौड़ी

आंक: प्रा.शिक्षा/ति/सामा-3/97-98/मान्यता/98/125 (125) दिनांक: 25.8.98  
प्रतिलिपि:-

- 1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान।
- 2. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर।
- 3. प्रधानाध्यापक/अनुपाचनापक, इमानुएल मिरान स्कूल, तिरौड़ी.....

को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश में दर्शाई कठिनाईयों एवं रायस्थान निजी शिक्षण संस्था मान्यता नियम 1993 की शर्तों की पूर्ति निर्धारित अवधि में कर अनुपाचना से निम्नस्तुताधरकर्ता को अवगत कराएँ। अनुपाचना नहीं करने की स्थिति में आपके विधायक की मान्यता निरस्त की जा सकती है। शिक्षा सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

  
शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, तिरौड़ी

11 फोड 11  
42498

  
Manager  
Emmanuel Mission Sr. Sec. School,  
Goily Road, SIROHI - 307001 (Raj.)  
C.B.S.E. Affiliation No. 1730811

  
EMMANUEL MISSION SR. SEC. SCHOOL  
Goily Road, Sirohi-307001 (Raj.)  
C.B.S.E. Affiliation No. - 1730811  
C.B.S.E. School Code - 11157